

MADHYA PRADESH

भोपाल, दिनांक २२ नवम्बर 2014

क्र. एफ-3-4-2014-एक-4.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सार्वजनिक छुट्टियों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्न अनुसूची में उल्लिखित दिन भी सन् 2015 के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :—

अनुसूची

स.क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1936	सोमवार
2	महाशिवरात्रि	एक	17 फरवरी	माघ 28, 1936	मंगलवार
3	होली	एक	06 मार्च	फाल्गुन 15, 1936	शुक्रवार
4	रामनवमी	एक	28 मार्च	चैत्र 07, 1937	शनिवार
5	बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी	एक	01 अप्रैल	चैत्र 11, 1937	बुधवार
6	महावीर जयन्ती	एक	02 अप्रैल	चैत्र 12, 1937	गुरुवार
7	बुद्ध पूर्णिमा	एक	04 मई	वैशाख 14, 1937	सोमवार
8	ईद-उल-फित्त्र	एक	18 जुलाई	आषाढ़ 27, 1937	शनिवार
9	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1937	शनिवार
10	ईदुज्जुहा	एक	25 सितम्बर	आश्विन 03, 1937	शुक्रवार
11	गांधी जयन्ती	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1937	शुक्रवार
12	दशहरा (विजयादशमी)	एक	22 अक्टूबर	आश्विन 30, 1937	गुरुवार
13	मोहर्रम	एक	24 अक्टूबर	कार्तिक 02, 1937	शनिवार
14	दीपावली	एक	11 नवम्बर	कार्तिक 20, 1937	बुधवार
15	गुरुनानक जयन्ती	एक	25 नवम्बर	अग्रहायण 04, 1937	बुधवार
16	क्रिसमस	एक	25 दिसम्बर	पौष 03, 1937	शुक्रवार

टीप.—(1) मिलाद-उन-नबी,

04 जनवरी,

पौष 14, 1936,

यह दिन रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी का दिन घोषित नहीं किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव।